



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014-2015

क्रमांक 3045-I-15

श्रीमती शीला, श्री राजेन्द्र सिंह लोधी आयु 60 वर्ष  
व्यवसाय खेती निवासी वार्ड-1, पटेरा रोड, नगर  
के पास, ग्राम हिन्डोरिया, तहसील व जिला दमोह

— आवेदिका

विरुद्ध

- 1— भगवत प्रसाद पिता उमा प्रसाद निवासी भटिया तहसील पटेरा, जिला दमोह
- 2— आशाराम पुत्र गया प्रसाद साहू निवासी भटिया तहसील पटेरा जिला दमोह
- 3— गोविन्द सिंह पुत्र शंकर सिंह लोधी निवासी जिला दमोह
- 4— गया प्रसाद पुत्र रघुनन्दन प्रसाद ब्राह्मण निवासी जिला दमोह
- 5— सरपंच ग्राम पंचायत भटिया द्वारा उदय सिंह लोधी जिला दमोह

— अनावेदक

आवेदन पत्र 35 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता प्रकरण क्रमांक

304 / 111 / 2014 पुनरीक्षण याचिका खारिज दिनांकी 15-4-2015 को

पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :-

- 1— यहकि, आवेदक द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 304 / 111 / 2014 आदेश दिनांकी 29-8-2007 पारित द्वारा श्री आरोसी मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी, हटा जिला दमोह प्रकरण 47 / अ / 25 वर्ष 2006-07 वउनवान भगवत प्रसाद विरुद्ध शीला के विरुद्ध प्रस्तुत की थी।

यहकि, उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 15-4-2015 अनावेदकगण के प्रारंभिक आपत्तियों के आवेदन पत्र के जबाब हेतु नियत थी।



1. 1

FQ

Date:

R. 1045/15

(ग्रन्थ)

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं दूसरे को  
आदि के हस्ताक्षर

2-9-15

आवेदन को अधिकारी लीजिए अंक (उपरी)  
 आवेदन को अधिकारी लीजिए अंक (उपरी) वास्तव (उपरी)  
 अभ्यर्थी को उपाय की पुनर्जीवित किया जाए  
 जो के आवेदन पर उत्तीर्ण | उपाय को अंकित किया जाए।

A  
6445

319/15

आवेदन को अधिकारी लीजिए अंक (उपरी)  
 आवेदन को अधिकारी लीजिए अंक (उपरी) वास्तव (उपरी)  
 अभ्यर्थी को उत्तीर्ण किया जाए। उपाय को अंकित किया जाए।

A  
6445

M